भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1209
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

सत्र अदालतों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

1209. श्री भोलानाथ (बी.पी. सरोज) :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सत्र अदालतों में न्यायाधीशों के कई पद खाली पड़े हैं, जिसके कारण विभिन्न श्रेणी के मामले, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद के मामले कई वर्षों से लंबित हैं ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार और जिला-वार इसका कारण सहित ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा सत्र न्यायालयों में लंबित ग्रामीण क्षेत्रों के भूमि विवादों के तत्काल निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए गए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सत्र न्यायालयों में भूमि विवाद से संबंधित मामलों की संख्या इस तथ्य के कारण बढ़ रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के किसानों को उनके क्षेत्र के संबंधित पुलिस स्टेशनों में न्याय नहीं मिलता है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त संबंध में कोई ठोस दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ताकि ऐसे मामलों को उनके संबंधित पुलिस स्टेशनों में निपटाया जा सके ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त स्थानों का राज्यवार ब्यौरा, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश भी है, **उपाबंध-1** पर दिया गया है । सत्र न्यायालयों में जिला-वार रिक्तियों के स्थान से संबंधित सूचना केन्द्रीय रुप से अनुरक्षित नहीं है ।

और ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लंबित भूमि विवाद मामले केन्द्रीय रुप से अनुरक्षित नहीं है ।

देश के सत्र न्यायालयों में रिक्त स्थानों को भरना, संबद्ध उच्च न्यायालयों तथा राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। संविधान के उपबंधों के अनुसार जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका स्तर में न्यायिक अधिकारियों के चयन, भर्ती और नियुक्ति में केन्द्रीय सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है । सांविधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 तथा अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, संबद्ध राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से संबद्ध राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और भर्ती के मुद्दों से संबंधित नियमों और

विनियमों की विरचना करती है । कुछ राज्यों में, संबद्ध उच्च न्यायालय भर्ती प्रक्रिया को अपने हाथ में ले लेता है, जबकि अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से ही इसे करता है ।

(ग) से (ङ) : न्यायालयों में मामलों का निपटान अनन्य रूप से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है । कथित विषयों में केन्द्रीय सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है ।

और ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 18 और प्रविष्टि 45 (राज्य सूची) के अनुसार, "भूमि और उसका प्रबंध" राज्य की अधिकारिता में आते हैं । इसी प्रकार, संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 2 (राज्यसूची) के अनुसार "पुलिस (जिसके अंतर्गत रेल और ग्राम पुलिस हैं)" राज्य की अधिकारिता में आते हैं ।

****

उपाबंध-1

'सेशन न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्ति' से संबंधित लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 1209 जिसका उत्तर 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख), के लिए निर्दिष्ट कथन ।

05.02.2024 की स्थिति के अनुसार जिला और अधीनस्थ न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त स्थान ।

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्यक्षत्र	रिक्ति
1.	आंध्र प्रदेश	84
2.	अरुणाचल प्रदेश	10
3.	असम	46
4.	बिहार	467
5.	चंडीगढ़	1
6.	छत्तीसगढ	139
7.	दादर और नागर हवेली	1
8.	दमन और दीव	0
9.	दिल्ली	89
10.	गोवा	10
11.	गुजरात	535
12.	हरियाणा	208
13.	हिमाचल प्रदेश	22
14.	जम्मू - कश्मीर	94
15.	झारखंड	182
16.	कर्नाटक	229
17.	केरल	91
18.	लद्दाख	7
19.	लक्षद्वीप	1
20.	मध्य प्रदेश	295
21.	महाराष्ट्र	250
22.	मणिपुर	10
23.	मेघालय	42
24.	मिजोरम	28
25.	नागालैंड	10
26.	ओडिशा	216
27.	पुदुचेरी	19
28.	पंजाब	112
29.	राजस्थान	300
30.	सिक्किम	12
31.	तमिलनाडु	334
32.	तेलंगाना	115
33.	त्रिपुरा	21
34.	उत्तर प्रदेश	1250
35.	उत्तराखंड	29
36.	अण्डमान और निकोबार	0
37.	पश्चिमी बंगाल	96
कुल		**5342**

****